न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) (महिला विरुद्ध अपराध)
कानपुर नगर।
जमानत प्रार्थना पत्र सं० 2237/2026
UPKN010065572026

जीतू सोनकर, उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र स्व० दशरथ सोनकर निवासी 103/112, कर्नलगंज, खटिकाना, थाना बजरिया, कानपुर नगर।

----आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

--- अभियोजन पक्ष

जमानत आदेश

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त आवेदक/अभियुक्त जीतू सोनकर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 70/2025, धारा 305(a), 331(4), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना स्वरूप नगर, कानपुर नगर के प्रकरण में प्रस्तुत कर, उसे दौरान विचारण जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा राजीव वोहरा की मधुराज के पास राजीव मेडिकल नाम से मेडिकल स्टोर है, जिसे वह रात्रि करीब 12–1 बजे बंद करके अपने घर चला जाता है जबकि आसपास पड़ोस की दुकानें रात्रि करीब 2:00 बजे तक खुली रहती हैं। यह कि दिनांक 26.7.2025 को समय करीब 6:00 बजे दुकान पर आने पर वादी ने पाया कि बगल साइड से उसके शटर को मोड़कर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अंदर घुसकर करीब 2,90,000/– रुपये रात्रि करीब 2:00 से 5:00 के बीच के मध्य चोरी कर लिये गए हैं। वादी की तहरीर के आधार पर संबंधित थाना स्वरूप नगर पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध धारा 305(A) व 331(4) बी०एन०एस० के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 70/2025 समय करीब 10:53 बजे पंजीकृत किया गया तथा विवेचना उप निरीक्षक रविंद्र राणा के सुपुर्द की गई। विवेचना के क्रम में सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया तथा मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 31.7.2025 को समय करीब 2:10 बजे आवेदक/अभियुक्त को अन्य तीन अभियुक्तों के साथ मय 12,600/– रुपये नकद व घटना पर प्रयुक्त दो मोबाइल व स्कूटी पंजीकरण संख्या UP78 GE 5917 रंग गहना नीला के साथ गिरफ्तार किया गया। जबकि एक व्यक्ति जिसका नाम रावेन्द्र उर्फ राजू उर्फ गबड्डू बताया गया, भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बरामद स्कूटी से घूम फिरकर रेकी कर बड़ी दुकानों के शटर उठाकर एवं ताला तोड़कर, चोरी करना व पाँच छह दिवस पूर्व मधुराज नर्सिंग होम के पास मेडिकल स्टोर के शटर के एक हिस्से को ऊपर खींचकर चोरी किया जाना बताया। तमामी विवेचना से अभियुक्तगण रविन्द्र गौतम, जीतू सोनकर, रवि गौतम व मुकेश उर्फ कल्लू के विरुद्ध धारा 305(a), 331(4), 317(2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध बखूबी प्रमाणित पाते हुए आरोपपत्र विचारणार्थ न्यायालय प्रेषित किया गया। जिस पर प्रसंज्ञान लिया गया तथा पत्रावली बाद विरचन आरोप वर्तमान में साक्ष्य में नियत है।

3– संक्षेप में अभियुक्त की ओर से चीफ लीगेल एड डिफेन्स काउंसिल एवं असिस्टेन्ट लीगल एण्ड डिफेन्स काउंसिल की ओर से शपथपत्र से समर्थित अपने जमानत प्रार्थनापत्र के माध्यम से आवेदक/अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष है और उसे अभियोग उपरोक्त में फर्जी फंसाया गया है। यह कि कथित चुराये गये 2,90,000/– रुपये में से मात्र 12,600/– रुपये की बरामदगी सभी गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से दर्शायी गयी है। जबकि शेष रुपयों का कोई उल्लेख नहीं है। यह कि घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। जबकि गिरफ्तारी व बरामदगी स्थल व्यस्ततम क्षेत्र है। यह कि प्रकरण मजिस्ट्रेट विचारणीय है। आवेदक/अभियुक्त किसी भी मामले में सजायाफ्ता नहीं है। वह

अपनी जमानत देने को तैयार है और जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4– उपरोक्त का विरोध थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या के आधार पर करते हुये विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) का कथन है कि आवेदक/अभियुक्त को सहअभियुक्तों के साथ चोरी किए गए अंश रुपयों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसके विरुद्ध केस डायरी में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। जमानत पर रिहा किया जाने पर वह साक्ष्य प्रभावित करेगा तथा समय से न्यायालय उपस्थित नहीं होगा। यह कि उसका आपराधिक इतिहास है।

5– सुना गया। जमानत पत्रावली, विचारण न्यायालय से प्राप्त दण्डवाद पत्रावली व थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या का अवलोकन किया गया।

6– पत्रावली के परिशीलन से आवेदक/अभियुक्त दिनांक 31.07.2025 से जिला कारागार में निरुद्ध होना दर्शित होता है। उसका सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के मेडिकल स्टोर से 2,90,000/– रुपये चोरी किये जाने का आरोप है। आवेदक/अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष है और उसे अभियोग उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है। उल्लेखनीय है कि चोरी व गिरफ्तारी की घटना का कोई जनसाक्षी नहीं है। चोरी गये कथित 2,90,000/– रुपयों का कोई विवरण तहरीर अथवा बयानों में वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। बरामद रुपयों में से अवशेष रुपयों के व्ययन के संबंध में कोई अभियोजन कथानक नहीं है। प्रकरण मजिस्ट्रेट विचारणीय है। प्रकरण में आरोपपत्र पर प्रसंज्ञान लिया जा चुका है व वर्तमान में विचारण प्रारम्भ है। आवेदक/अभियुक्त किसी अभियोग में सजायाफ्ता होना दर्शित नहीं है। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आधार जमानत पर्याप्त है।

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 70/2025, धारा 305(a), 331(4), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना स्वरूप नगर, कानपुर नगर के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त जीतू सोनकर का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को मु० 50,000/– रुपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

2– विचारण न्यायालय से आहूत दण्डवाद पत्रावली नियमानुसार वापस प्रेषित की जावे।

3– आदेश की एक प्रति, SMWP (CRIMINAL) No. 4/2021 IN RE POLICY STRATEGY FOR GRANT OF BAIL में पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांकित 31.01.2023 के क्रम में जेल अधीक्षक जिला कारागार कानपुर नगर को जरिये ई–मेल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

दिनांक– 17.06.2026

Ankita.

(राकेश सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(फास्ट ट्रैक कोर्ट) (महिला विरुद्ध अपराध),
कानपुर नगर।
आई०डी० UP1614

Digitally signed by RAKESH SINGH
Date: 2026.06.17 17:19:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court